



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122024-259567
CG-DL-E-20122024-259567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5096]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2024/अग्रहायण 29, 1946

No. 5096]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2024/AGRAHAYANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5511(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1307(अ), दिनांक 04 अप्रैल 2016 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के किलोमीटर 67.200 से किलोमीटर 131.000 (हरियाणा/हिमाचल सीमा-सोलन-कैथलीघाट खंड) तक का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है।

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके बाद "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 1253 (अ) दिनांक 17.03.2021 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (नया एनएच-05) के परवाणू-सोलन-कैथलीघाट एनएच खंड डिजाइन कि.मी. 67.000 से कि.मी. 127.640 तक, नीचे दी गई सारणी-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार या अधिक लेन खंड के उपयोग के लिए 56.342 कि.मी की निवल सड़क खंड लंबाई [सारणी 2] और 14.930 कि.मी (1.493 कि.मी की लंबाई वाली, सारणी-4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले 0.292 कि.मी. [सारणी-3] लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर का डेढ़ गुना और 23.010 कि.मी (2.301 कि.मी लंबाई, सारणी-4) के समतुल्य संरचना वाली लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन खंड के उपयोग के लिए सारणी-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों के 60% दर से शुल्क उद्धृति करता है और प्राधिकरण को

अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसार:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात्;

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सांवरा गांव के पास एनएच -22 (नया एनएच -05) के डिज़ाइन कि.मी 80.722 पर	56.342 (बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर)] संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा: -

सारणी -3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सांवरा गांव के पास एनएच -22 (नया एनएच -05) के डिज़ाइन कि.मी 80.722 पर	कंडाघाट बाईपास	बायाँ कैरिजवे		0.292	169.72	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
		डिज़ाइन कि. मी.116+780	डिज़ाइन कि. मी.118+130			
		दायाँ कैरिजवे		(>60 मीटर)] संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर		
		डिज़ाइन कि. मी. 116+603	डिज़ाइन कि. मी.117+952			

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोधय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सांवरा गांव के पास एनएच -22 (नया एनएच - 05) के डिज़ाइन कि.मी 80.722 पर	2.301 [^]	23.010	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	1.493 ^{^^}	14.930	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] विवरण निम्नानुसार है: -

60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना				
क्रम सं.	संरचना (चैनेज कि.मी.)		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
1	67.120	67.280	2 लेन वायाडक्ट	0.160
2	87.390	88.490	2 लेन वायाडक्ट	0.100
3	0.988	1.924	2 लेन सुरंग	0.936
4	102.285	103.355	2 लेन वायाडक्ट	0.070
5	108.401	108.559	2 लेन वायाडक्ट	0.158
6	109.580	109.790	2 लेन वायाडक्ट	0.210
7	117.393	118.060	2 लेन सुरंग	0.667
			कुल	2.301

^{^^} विवरण निम्नानुसार है: -

60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना				
क्रम सं.	संरचना (चैनेज कि.मी.)		संरचना का प्रकार	लंबाई* (कि.मी. में)
1	78.180	78.290	4 लेन आरओबी	0.120
2	89.490	89.871	4 लेन फ्लाईओवर	0.382
3	106.180	106.780	4 लेन आरओबी	0.600
4	116.950	117.341	4 लेन आरओबी	0.391
			कुल	1.493

*दोनों पक्षों की औसत लंबाई पर विचार किया गया है।

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए मासिक पास की दर 340.00/-रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
देय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियम के नियम 10 के उप नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई परियोजना राजमार्गों की लम्बाई के आधार पर की जाएगी तथा उसे रियायतग्राही के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तदनुसार उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।
11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3146.32 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने हैं। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फ़ा. सं.. एनएचएआई /पीआईयू शिमला/परवानू-कैठलीघाट/शुल्क अधिसूचना /ई-242260]

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2024

S.O. 5511(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1307 (E) dated the 04th April 2016 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 to 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 67.200 to kilometer 131.000 (Haryana/Himachal Border-Solan-Kaithlighat Section) of National Highway no. 22 in the state of Himachal Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said rules") and in supersession to the notification bearing S.O. 1253 (E) dated 17.03.2021, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 56.342 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) 14.930 km (having length of 1.493 km [Table 4]) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 0.292 km [Table 3] costing rupees ten crore or more for the use of four or more lane section and at 60% of the base rates specified in column (2) of the Table (1) for equivalent structure length (having length more than 60m) of 23.010 km (having length of 2.301 km [Table 4]) for the use of two lane with paved shoulders, on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Parwanoo-Solan-Kaithlighat NH section from design Km 67.000 to Km 127.640 of National Highway number 22 (New NH-05) in the state of Himachal Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, as under:-

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 80.722 of NH-22 (New NH-05) near Sanwara Village in Solan district of Himachal Pradesh	56.342 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of Bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length in Km	Cost (in Crore)	
At Design km. 80.722 of NH-22 (New NH-05) near Sanwara village in Solan district of Himachal Pradesh	Kandaghat Bypass	Left Carriageway		0.292 [Excluding length of structures (>60m)]	169.72	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
		Design Km.116+780	Design km. 118+130			
		Right Carriageway				
		Design Km.116+603	Design km. 117+952			

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design km. 80.722 of NH-22 (New NH-05) near Sanwara village in Solan district of Himachal Pradesh	2.301 [^]	23.010	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	1.493 ^{^^}	14.930	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

[^] The Details are as under: -

Sr. No.	Structure (Chainage km.)		Type of Structure	Length (km.)
1	67.120	67.280	2 Lane Viaduct	0.160
2	87.390	88.490	2 Lane Viaduct	0.100
3	0.988	1.924	2 Lane Tunnel	0.936
4	102.285	103.355	2 Lane Viaduct	0.070
5	108.401	108.559	2 Lane Viaduct	0.158
6	109.580	109.790	2 Lane Viaduct	0.210
7	117.393	118.060	2 Lane Tunnel	0.667
			Total	2.301

^{^^} The Details are as under: -

Sr. No.	Structure (Chainage km.)		Type of Structure	Length* (km.)
1	78.180	78.290	4 Lane ROB	0.120
2	89.490	89.871	4 Lane Flyover	0.382
3	106.180	106.780	4 Lane ROB	0.600
4	116.950	117.341	4 Lane ROB	0.391
			Total	1.493

*Average length of both sides has been considered.

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 340 (Rs. Three Hundred Forty Only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 3146.32 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/PIU-Shimla/Parwanoo-Kaithlighat/TollNotification/E-242260]

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.